Date
Page 1

Dr. Priti Ranjan (History of Deptt)
H.D. Jain College (Ara)
Paper - 5 - History of IDEAS
M.A Semester - II

Priti Ranjan (History of Deptt)
H.D. Jain College (Ara)
Paper - 5. History of IDEAS
Semester - II

वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धान्त की
ना करें ?

के अन्तर्गत मनु, भीष्म और शुक्र
रूप के अन्तर्गत मनु, भीष्म और शुक्र
चों के द्वारा राज्य की कल्पना एक
शाश्वत शरीर के रूप में की गई है,
अंग के होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के
करते हुए

Q. कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धान्त की विवेचना करें।

Ans भारतीय राजशास्त्र के अन्तर्गत मनु, मौर्य और शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जाग्रत शरीर के रूप में की गई है, जिसके सात अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है।

"इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा (सिर) के समान है, आमात्य आँख, मित्र कान, कोष मुख, बल मन, दुर्ग हाथ तथा राष्ट्र ही पैर है।"

इन विद्वानों के समान कौटिल्य ने भी राज्य को सात प्रकृति युक्त माना है, राज्य की ये सात प्रकृतियाँ या अंग इस प्रकार है — स्वामि, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने इस सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन इस प्रकार किया है:-

1) स्वामि :- कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग होता है, इसे उसने स्वामि की संज्ञा दी है। स्वामि का अर्थ आदेश देनेवाला या शासन करने

वाले से है। राजा मे अनेक गुण होने चाहिए जैसे विनय विवेक शास्त्र ज्ञान समयानुकूल व्यवस्था करने की योग्यता प्रजा के पोषण और रक्षण की समता, शत्रु-मित्र का ज्ञान, शत्रु की युक्तियों को समझने की शक्ति और चापलूसों में न फँसने की आवश्यकता। कौटिल्य कहता है "प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजा नाम हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।"

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है, उसके कल्याण में राजा का कल्याण है, जो कुछ राजा को स्वयं अच्छा लगे उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता-पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा के अनेक कार्यों में वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। दंड की व्यवस्था करना लोकहित कार्य आदि है। कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वे कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है।

2) आमात्य :- आमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों तथा उच्च प्रशासक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। उसके अनुसार राजा को चाहिए की वह निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही आमात्य पद के लिए नियुक्ति करें तथा अपने सहपाठियों संबंधियों सिफारिशी लोगों को आमात्य न बनावें। अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्रिपरिषद् की आवश्यकता पर बल प्रकट किया है। उसके अनुसार राजा एक रथ है, जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता उसी प्रकार

मंत्रियों की सहायता के बिना अकेले राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा केवल योग्य मंत्री ही नियुक्त नहीं करे मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजा का काम नहीं चल सकता। कौटिल्य ने लिखा है कि मंत्रिपरिषद् की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। इसके अनुसार सामान्यतः तीन या चार मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए।

3) जनपद: जनपद का अर्थ है, जनयुक्त भूमि। वर्तमान काल में इसे हम जनता या भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया है। प्लेटो और अरस्तु की भाँति कौटिल्य ने भी जनता और भूमि दोनों का अलग-2 वर्णन किया है। उसका मत है कि जनता सरल हृदय वाली निष्ठावान स्वाभिमानी तथा सपन्न होनी चाहिए ताकि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो तथा स्वेच्छा से अदा करती हो जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

भूमि के विषय में उसका विचार है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जल-स्थल मार्ग, उपजाऊ मिट्टी हर प्रकार के पशु-पक्षी दुर्ग पर्वत इत्यादि होनी चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में विचार करते हुए कहता है कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए।

4) दुर्ग :- कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है, जितनी जनता, भूमि अथवा राजा। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रमक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिये जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो और पानी, भोज्य सामग्री तथा बारूद का अच्छा प्रबंध हो। दुर्ग चार प्रकार के हैं :- औदिक (जो निर्जन मरू प्रदेश में बना हो) वन दुर्ग (जो वनों के बीच में हो) पर्वत दुर्ग तथा धान्वन दुर्ग।

5) कोष :- कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा-पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का छठा भाग ले तथा कोष में बहुमूल्य मुद्राएँ तथा धातुएँ पर्याप्त मात्रा में रखे। कोष धर्म पूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि विपत्ति काल में भी दीर्घ काल तक निर्वाह हो सके।

6) दंड अथवा सेना :-

राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य के अनुसार जिस राजा के पास सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में भी भाली-भाँति प्रशिक्षित वीर स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग में सेना को नियुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है।

किन्तु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य तथा शूद्र को भी सेना में नियुक्त किये जा सकते है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है अतः सैनिकों को अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए।

7. मित्र :- कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए न की कृत्रिम। वह ऐसा हो कि जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना न हो। राज्य के इन सात अंगो के विवेचन के साथ ही कौटिल्य ने इनके सार्वभौमिक महत्व पर विचार किया है। इन सात अंगो के संबंध में मनु, शुक्र और शुक्र जैसे पुराने आचार्यो का मत तो यह था कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र सब महत्वपूर्ण है।

किन्तु आचार्य भारद्वाज ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि स्वामि के अपेक्षा अमात्य (मंत्री) अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि राजा अमात्य के व्यसनी होने पर उसके स्थान पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त कर सकता है। इसलिए कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धान्त में राजा को अधिक महत्व दिया है और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। इस संबंध में उसने आठवें अधिकरण के दूसरे अध्याय में लिखा है "राजा राजनीति प्रकृति संक्षेप"

अर्थात संक्षेप में राजा की केवल

दोनों प्रकृति या अंग है - राजा और राज्य।
आधुनिक राजशास्त्री राज्य के चार तत्व मानते है — भू-भाग जनसंख्या सरकार और संप्रभुता इस दृष्टि से उनके अनुसार राज्य के अंगों में कोष सेना दंड और मित्र को स्थान दिया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। परंतु साधारण रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्राचीन काल में कोष और दुर्ग राज्य के अस्तित्व एवं सुरक्षा तथा जनता की समृद्धि के लिए आवश्यक तत्व रहे होंगे। यही बात मित्र के संबंध में भी जा सकती है। आज भी कोई छोटे राज्य बड़े किसी शक्तिशाली राज्यों के सहयोग के बिना अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं कर सकता।

निष्कर्ष - कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धान्त द्वारा राजशास्त्र और राज संस्था को अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया है। स्मृतिकारों तथा वेदों में तो राजा के पुरोहितों को व्यवहारिक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुरोहित पद की चर्चा बहुत कम है और राज्य के सात अंगों में उसे स्थान न देकर उसका महत्व कम कर दिया है।